

सम्पति अक्कार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 230/2021

आवेदन सं०.....

चूँकि श्री Sahjawan Sharna ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अक्कारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अक्कारों के बारे में वही I में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2013 से ता० ~~2013~~ up to 2013 तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अक्कारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Gutua No- 138 Nagin Ranchi Khatra No 4 plot no 1143 & 1144 Area- 14 dec.				N/L			

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बंधक -पत्र की दशा में व्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।



मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर A. Sharma

(पदनाम):- 26-8-2021

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम):-

कार्यालय S. R. O. L. 944

तारीख 26-8-2021



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
26-8-2021

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाने गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन-जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

रॉ. 183 रॉ. 26-8-2021 एग. Sahajwan Sharma  
को. 30 30 44 Manager Axis Bank Ranchi को  
26/8/21

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

26-8-2021